

# जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

अशोक कुमार बनाम विजय

मु. सं.

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

आज पत्रावली पेश हुई वकील ओप  
पक्ष उपस्थित। वास्ते जवाब दि 18-1-21 को  
पेश हो। अंतिम मेका दिमा जाता है। तब तक  
T.I. की खरीद बर्दाश्त जारी है।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला बैरक)

दिनांक 18-01-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार  
बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है।  
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को  
चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम  
हजारी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष  
में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05-02-2020 निरस्त  
की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद  
रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला बैरक)